न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

20रु. COURT FEE भारत INDIA TWENTY RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

आज दिनांक 19-4-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 8-5-18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मंडल, ग्वालियर

III/निगरानी/रीवा/भू.रा./2018/2487

1. श्री कृष्ण मेहरोत्रा तनय स्व. रामकृष्ण खत्री उम्र 66 वर्ष निवासी बरही जिला कटनी (म0प्र0)
2. श्री राज मेहरोत्रा तनय स्व. हरिकृष्ण खत्री उम्र 64 वर्ष निवासी उन्नत पुल के पास ढेकहा रीवा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) ....**निगरानीकर्तागण**

बनाम

1. शासन मध्यप्रदेश द्वारा कलेक्टर रीवा
2. श्रीमती देवरती सेन पुत्री जागेश्वर प्रसाद सेन निवासी ग्राम ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)
3. श्रीमती श्यामकली पत्नी श्री देवतादीन निवासी ग्राम ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)
4. श्री सुरेन्द्र पिता देवतादीन निवासी ग्राम ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)
5. श्री विजय कुमार पिता देवतादीन निवासी ग्राम ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)
6. श्री रवीन्द्रनाथ पिता शिवमणि पाठक निवासी ग्राम ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)
7. हीरामणि पिता चुनकामन केवट निवासी गोलहटा तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म.प्र.)
8. श्रीमती विमला देवी पत्नी राजमणि अग्निहोत्री निवासी ग्राम मढी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना (म.प्र.)
9. श्री डी.एस. साहनी पिता सरदार के.एस. साहनी मे0 राजपूत गन सर्विस ढेकहा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

(Adv)

दिनांक 19/4/18

10.आदर्श महेन्द्रा पिता स्व. रामकृष्ण खत्री निवासी उचाहार जिला रायबरेली (उ0प्र0) ....**गैरनिगरानीकर्तागण**

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 27/03/2018 जरिये प्रकरण कमांक 11/अ–74/निगरानी/2015–16 न्यायालय कलेक्टर रीवा (म.प्र.)
निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:–

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि ग्राम ढेकहा पवाई का गांव था, जिसके पूर्व पवाईदार रामकृष्ण तनय रामावतार कायस्थ थे, निगरानीकर्तागण के पूर्वाधिकारी रामकृष्ण खत्री आराजी खसरा क. 161 पुराना खसरा न. 163 रकवा 0.32 ए0 का अंश रकवा 0.05 ए0, खसरा क. 162 पुराना खसरा न. 164 रकवा 0.31 ए0, खसरा क. 187 पुराना खसरा न. 184/1 रकवा 0.06 ए0, खसरा क. 188 पुराना खसरा न. 184/2 रकवा 0.22 ए0, खसरा क. 189 पुराना खसरा क. 184/3 रकवा 0.69 ए0, खसरा क. 190 पुराना खसरा न. 185 रकवा 0.41 ए0, खसरा क. 200 पुराना खसरा न. 197 रकवा 0.88 ए0 स्थित ग्राम ढेकहा में पवाई उनमूलन अधिनियम 1952 ई0 के पूर्व से जरिये काश्त काबिज थे, जिन सभी भूमियों मे उनकी हैसियत रीवा लैण्ड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी एक्ट 1935 ई0 में परिभाषित गैर हकदार काश्तकार की थी। तथा वे उक्त भूयिमों के तत्कालीन विन्ध्य प्रदेश लैण्ड रेवेन्यू एण्ड टेनेन्सी एक्ट के तहत गैर हकदार काश्तकार की श्रेणी मे आने से तारीख 02/10/1959 को म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के लागू हो जाने के पश्चात म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई0 की धारा 158 डी के तहत उपरोक्त वर्णित भूमियों के भूमिस्वामी विधि के प्रभाव से हो गये तथा भूमिस्वामी की हैसियत से

72

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक D/R/निग/भूरा/18/2487, श्री कृष्ण / म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
9-1-19	आवेदक की ओर से श्री एस. के. अवस्थी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 11/अ-74/निग/15-16 में पारित आदेश दिनांक 27/03/18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-4-19 को संभागीय आयुक्त रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	